ई–टेण्डर आमंत्रण हेतु सूचना

जनपद कुशीनगर में सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत प्रभावित परिवारों को समय से राहत सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत फर्मो से निम्नवर्णित आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति अंकित मात्रा के अनुसार प्रति पैकेट के आधार पर किये जाने हेतु ई–टेण्डर के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है। राहत सामग्रियों की पैकिंग निम्न विवरण के अनुसार की जायेगी।

सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा	सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा
आटा	10कि.ग्रा.	रिफाइन्ड तेल	01लीटर.
चावल	10कि.ग्रा.	मोमबत्ती	01पैकेट
आलू	10कि.ग्रा.	माचिस	01पैकेट
लाई	05कि.ग्रा.	बिस्कुट	10पैकेट
भूना चना	02कि.ग्रा.	भूसा	05कि.ग्रा.
अरहर की दाल	02कि.ग्रा.	प्लास्टिक बाल्टी 15 लीटर	01अदद
नमक	500ग्राम	प्लास्टिक मग 01 लीटर	01अदद
हल्दी	250ग्राम	प्लास्टिक त्रिपाल (12×10)	01अदद.
मिर्च	250ग्राम	गैलन (प्रति 20 लीटर)	01अदद
धनिया	250ग्राम		

उपरोक्त सामग्रीयों की आपूर्ति निम्न शर्तो के साथ निविदादाता द्वारा किया जाना है :–

1. निविदादाता / फर्म, वाणिज्य कर विभाग (जी0एस0टी0) में पंजीकृत होना चाहिए। टेण्डर के साथ पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय।
2. निविदादाता का फूड लाइसेंस, पैन नम्बर, लेबर रजिस्टेशन की छायाप्रति तथा गत दो वर्षो में 04 करोड़ का सरकारी विभाग में कार्य करने का अनुभव।
3. सत्र 2017–18 में आपदा विभाग में कम से कम 3.5 करोड़ का खाद्यान्न आपूर्ति का अनुभव।
4. फर्म का विगत दो वर्षो का वार्षिक व्यवसाय न्यूनतम 04 करोड़ से कम न हो इस आशय का अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
5. अच्छी गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
6. निविदा की दरों में सामग्री का मूल्य, हैंडलिग, राहत वितरण केन्द्र / बाढ़ शरणालय तक परिवहन आदि सभी प्रकार के व्यय सम्मिलित होगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा।
7. किसी विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी, कुशीनगर का निर्णय अन्तिम होगा।
8. टेण्डर के साथ आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का सैम्पुल भी देना होगा तथा कार्टन बाक्स में उपलब्ध कराना आवश्यक है एवं उसी गुणवत्ता के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
9. पैकिग किट आपदा विभाग मे अवलोकन के लिए उपलब्ध है अधिक जानकारी के लिए विभाग में सम्पर्क करें।
10. टेण्डर में उल्लिखित समस्त सामग्रियों की पर्याप्त मात्रा टेण्डर दाता को बाढ़ अवधि तक प्रत्येक समय अपने स्टाक में आरक्षित करना होगा, ताकि आकस्मिक आवश्यकता की स्थिति में तात्कालिक रूप से आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। आवश्यकता का निर्धारण जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा किया जायेगा तथा आपूर्ति प्रत्येक दशा में 06 (छः) घण्टे के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी।
11. सर्वप्रथम ई–टेण्डर का टेक्निकल बीड खोला जाएगा। टेक्निकल बीड में अर्ह पाये जाने वाले फर्मो की ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा, तथा न्यूनतम वित्तीय निविदादाता की निविदास्वीकृति की जायेगी।

अतः इच्छुक व्यक्ति / फर्म ई–निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन की तिथि से 10 कार्यदिवस के अन्दर ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर निविदादाता द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जाएगी। निविदा दिनांक 28.06.2018 को अपरान्ह 02.00 बजे अपर जिलाधिकारी कुशीनगर के कक्ष में खोली जाएगी। निविदादाता को अर्नेस्ट मनी के रूप में रू0 50,000.00 (रू0 पचास हजार मात्र) का बैंकड्राफ्ट, जो जिलाधिकारी कुशीनगर के पद नाम से होगा, ई–टेण्डर के साथ अपलोड करना होगा, तथा उसकी हार्ड कापी कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। अन्तिम रूप से स्वीकार निविदादाता को कुल अनुमानित धनराशि का 10प्रतिशत जमानत की धनराशि जिलाधिकारी, कुशीनगर के पक्ष में बन्धक कराकर प्रस्तुत करना होगा। उक्त निविदा को निरस्त करने संशोधित कराने अथवा स्थानीय आवश्यकतानुसार अन्य सामग्री को सम्मिलित करने का अधिकार जिलाधिकारी कुशीनगर में निहित होगा।

अपर जिलाधिकारी (वि० / रा०),
कुशीनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी कुशीनगर।

संख्याः 84 / आपदा–2018–19 दिनांक 20 जून, 2018

प्रतिलिपिः
1. जिलाधिकारी, कुशीनगर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला सूचना अधिकारी कुशीनगर को निर्देशित किया जाता है कि स्थानिय समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं राष्ट्रीय सहारा में कम से कम धनराशि में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें

20/06/18

अपर जिलाधिकारी (वि० / रा०),
कुशीनगर।